रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112026-277908
CG-DL-E-14112026-277908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 670] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

(2026 का 10)

सं. आरजी-1/(1)/2026-एनएसएल-I.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (vii) और (viii) के साथ पठित धारा 36 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 (1999 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे।

2. अंत: संयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999 (1999 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 में, --

(क) खंड (vii) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(viii-क) "उपयोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दूरसंचार सेवा का उपयोग करता है, किन्तु इसमें ऐसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (i) में, "इंटरकनेक्टिंग सेवा प्रदाताओं के नाम," शब्दों के पश्चात् और "उनके प्रचालन के सेवा क्षेत्र" शब्दों से पूर्व, "अंत: संयोजन करारों के अधीन विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवा प्राधिकार," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**5. अंत: संयोजन करारों का पंजीकरण. —** सभी सेवा प्रदाता, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा स्थापित पोर्टल के माध्यम से, ऐसे किसी भी अंत: संयोजन करार को जिसके वे पक्षकार हैं और उसमें किए गए किसी भी संशोधन को, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत करेंगे:—

(क) ऐसा कोई भी करार जो 1 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त हो, उक्त तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ख) अन्य सभी मामलों में, ऐसे करारों के निष्पादन या संशोधन के पंद्रह दिनों के भीतर।"

5. मूल विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6. रिपोर्टिंग.— सभी सेवा प्रदाता प्रत्येक अंत: संयोजन करार और उसमें किए गए प्रत्येक संशोधन की पाठ-खोज योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रति, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में तथा ऐसे अन्य प्रारूप में, जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।"

6. मूल विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7. प्राधिकरण समय-समय पर अंत: संयोजन करारों के ऐसे भागों की विखंडित (डिसएग्रीगेटेड) सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनका अंत: संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों/विनिर्देशों, सेवा की गुणवत्ता, दोष निवारण प्रक्रियाओं, सेवा-अवरोध की अवधि, अभिगम प्रभार, पोर्ट प्रभार, राजस्व साझाकरण व्यवस्थाओं, परिचालन क्षेत्र तथा उपयोक्ता-संबंधी सूचना, जैसे सेवाओं की श्रेणी और इसी प्रकार की अन्य सूचना पर प्रभाव पड़ता हो, जिन्हें रजिस्टर में भी सम्मिलित किया जाना है और प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी सूचना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।"

7. मूल विनियमों के विनियम 8 में, प्रारंभ में आने वाले "यह रजिस्टर" शब्दों के स्थान पर, "रजिस्टर का खण्ड III" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल विनियमों के विनियम 9 में, "अवर सचिव (वाणिज्यिक), टी आर ए आई को, या प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अन्य प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 11 में, --

(क) "अनुमति दे सकता है" शब्दों के पश्चात्, "रजिस्टर के निरीक्षण के लिए आवेदन," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "तक अभिगम या एक्सेस" शब्दों के पश्चात्, "के भाग III" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) "रजिस्टर" शब्द के पश्चात्, ", तथा उसकी प्रतियां या उद्धरण प्राप्त करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(घ) "वेब-साइट" शब्द के स्थान पर, "पोर्टल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. मूल विनियमों के विनियम 12 में, --

(क) उप-विनियम (i) में, "50.00 रुपये प्रति घंटा" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ रुपये प्रति घंटा या उसके कोई भाग के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-विनियम (ii) में, "20.00 रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. मूल विनियमों के विनियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"**12क. इन विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणाम —**

(1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 5, विनियम 6 या विनियम 7 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अपने लाइसेंस या प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी दंड अथवा किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या किए गए आदेशों या जारी किए गए निर्देशों के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों की अनुसूची-I में उपबंधित वित्तीय निरुत्साहन के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए उल्लंघन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) प्राधिकरण कारणों को लेखबद्ध कर कोई वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित न करने या वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि अधिरोपित करने का निर्णय ले सकता है ।

12ख. वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान — (1) इन विनियमों के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय राशि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी।

(2) यदि सेवा प्रदाता विनियम 12क के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश के जारी होने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर या वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश में नियत अवधि के भीतर वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष, जिसमें नियत अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, के आरंभ में प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत (2%) अधिक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए ब्याज की गणना हेतु कैलंडर महीने के किसी भाग को पूर्ण महीना माना जाएगा, और एक महीने को अंग्रेजी कैलेंडर महीने के रूप में गिना जाएगा।

12ग. समीक्षा — प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इन विनियमों के प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है।"

12. मूल विनियमों के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**13. कठिनाइयों का निवारण**.— इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या अनुप्रयोग में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी कर सकता है जो अंतिम और बाध्यकारी होंगे।"

13. मूल विनियमों के विनियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"**अनुसूची-I**

[विनियम 12क देखें]

क्र. सं.	**विनियम के अधीन उल्लंघन**	**उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि**
1	विनियम 7 का उल्लंघन	(i) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन पचास हजार रुपये तक; और (ii) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2	विनियम 5 या विनियम 6 का उल्लंघन	(i) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक; और (ii) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन दो लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

(पुष्पेंद्र कुमार सिंह, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./441/2026-27]

टिप्पणी 1: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचना सं. 409-1/98-ट्राई (वाणिज्यिक) दिनांक 31 अगस्त, 1999 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:

(i) अधिसूचना सं. 11-11/2004/बीएंडसीएस दिनांक 3 फरवरी, 2004 (2004 का 2)

(ii) अधिसूचना सं. 11-11/2004-बीएंडसीएस दिनांक 31 दिसंबर, 2004 (2004 का 14)

(iii) अधिसूचना सं. 306-3/2005-क्यूओएस दिनांक 4 मार्च, 2005 (2005 का 5)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन "अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026" के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

अस्वीकरण: यह अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026

का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना

1.1. दूरसंचार में अंत: संयोजन से ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी प्रबंध अभिप्रेत हैं जो प्राधिकृत संस्थाओं या लाइसेंसधारियों को अपने दूरसंचार उपकरणों, नेटवर्कों और सेवाओं को परस्पर जोड़ने में समर्थ बनाते हैं जिससे उनके उपभोक्ता अन्य प्राधिकृत संस्थाओं या लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं, सेवाओं, और नेटवर्कों तक अभिगम कर सकें।

1.2. अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 को 31 अगस्त, 1999 को अधिसूचित किया गया था और 1 सितंबर, 1999 को प्रवृत्त हुए थे, जिनका उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के बीच किए गए अंत: संयोजन करारों के पंजीकरण के लिए एक विनियामक ढांचा स्थापित करना था। इन विनियमों में सेवा प्रदाताओं के बीच अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर के रखरखाव और उससे संबंधित विषयों के लिए तौर-तरीके विहित किए गए हैं। इन विनियमों में अंत: संयोजन करारों को प्रस्तुत करने और उनके पंजीकरण, प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर के रखरखाव, अंत: संयोजन करार की गोपनीय रखी जाने वाली विषय-वस्तु, अंत: संयोजन करारों के निरीक्षण तथा संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। तत्पश्चात्, इन विनियमों में 3 फरवरी, 2004, 31 दिसंबर, 2004 और 4 मार्च, 2005 को संशोधन किए गए।

1.3. यह व्याख्यात्मक ज्ञापन अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 की पृष्ठभूमि, औचित्य और अंतर्निहित विचारों को प्रस्तुत करता है, ताकि हितधारक इन विनियमों को तैयार करने में प्राधिकरण के दृष्टिकोण को समझ सकें।

2. भारत में अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा हेतु वर्तमान प्रक्रिया

2.1. प्राधिकरण ने दिनांक 3 अप्रैल 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया और तत्पश्चात् इन विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के विचार जानने के लिए 10 नवंबर 2025 को 'अंत: संयोजन मामलों पर विद्यमान

भादूविप्रा विनियमों की समीक्षा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से क्रमशः 15 दिसंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 की विस्तारित अंतिम तारीखों तक अपनी लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। 28 जनवरी 2026 को हितधारकों के साथ खुली परिचर्चा आयोजित की गई। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों, टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के माध्यम से तथा खुली परिचर्चा के दौरान हितधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का आगामी अनुच्छेदों में परीक्षण किया गया है।

3. अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर से संबंधित विनियामक ढांचे से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण

3.1. प्राधिकरण ने 10 नवंबर, 2025 के परामर्श पत्र में अंत: संयोजन करारों के रजिस्टर से संबंधित विनियामक ढांचे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार आमंत्रित किए थे। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में चर्चा किए गए प्रासंगिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(क) अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता का परीक्षण।

(ख) रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क तथा रजिस्टर से प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार का परीक्षण।

(ग) आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन रूपरेखा।

परामर्श प्रक्रिया में उठाए गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में हितधारकों से बड़ी संख्या में विचार प्राप्त हुए। हितधारकों से प्राप्त अभिमतों पर प्राधिकरण द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और उनका सार आगामी खंडों में प्रस्तुत किया गया है, जिसके पश्चात् उनका विश्लेषण तथा उन पर लिए गए निर्णय दिए गए हैं।

3.2. परामर्श प्रक्रिया के दौरान, हितधारकों को औचित्य के साथ इस बात पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि क्या फ्लॉपी डिस्क और मुद्रित (प्रिंट) प्रतियों का उपयोग करके 'अंत: संयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999' के अधीन अंत: संयोजन करारों को प्रस्तुत करने, उनका निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के वर्तमान प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसे ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए।

3.3. एक अन्य प्रश्न में गैर-अनुपालन को रोकने के लिए अंत: संयोजन विनियमों में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन और उनके परिमाणीकरण पर हितधारकों के विचार मांगे गए थे।

3.4. **अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता का परीक्षण, निरीक्षण हेतु शुल्क तथा प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा और आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे का परीक्षण।**

3.4.1. इन मुद्दों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) की मौजूदा सुसंगत धाराएं तथा विनियामक ढांचा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:—

3.4.2. भादूविप्रा अधिनियम के 'प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य' शीर्षक के अधीन धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (vii) और (viii) में निम्नलिखित उपबंध हैं:

"(ख) निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करना, अर्थात्:-

…

(vii) अन्त:सम्बन्धित करारों का और सभी ऐसे अन्य विषयों के ऐसे रजिस्टर रखना जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं;

(viii) खंड (vii) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं, जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना;"

3.4.3. अंत: संयोजन करारों और उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 का विनियम 6 निम्नलिखित का उपबंध करता है:

"6. समस्त सेवा प्रदाता, प्राधिकरण को प्रत्येक इंटरकनेक्ट करार की, यदि कोई संशोधन हुए हों तो उनके साथ, मुद्रित रूप में, यथा प्रमाणित दो प्रतियां देंगे। इसके साथ ही 3.5" आकार की फ्लॉपी/ डिस्क में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में उसकी एक सॉफ्ट कॉपी तथा समय समय पर यथा निर्धारित किसी अन्य रूप में भी उसकी प्रतियां देंगे।"

3.4.4. रजिस्टर के भाग III के अंत: संयोजन करार और उसमें किए गए संशोधनों के संगत भागों के उद्धरण प्राप्त करने के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 के विनियम 8, विनियम 9 और विनियम 10 निम्नलिखित का उपबंध करते हैं:

"8. यह रजिस्टर किसी भी आम आदमी द्वारा निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगा। इसके लिए उसे निर्धारित शुल्क (फीस) देना होगा और इन विनियमों में बताई गई या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित शर्तों को पूरा करना होगा।

9. कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहता है, अवर सचिव (वाणिज्यिक), टी आर ए आई को, या प्राधिकरण द्वारा इस काम के लिए नामित अन्य प्राधिकारी को यह बताते हुए आवेदन देगा कि उसे क्या क्या सूचना चाहिए।

10. नामित अधिकारी इस रजिस्टर के निरीक्षण की अनुमति देगा और समय समय पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर रजिस्टर के संबंधित अंशों के उद्धरण उपलब्ध कराएगा।"

3.4.5. समय-समय पर यथासंशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 के विनियम 12 में रजिस्टर के निरीक्षण के लिए शुल्क तथा रजिस्टर के प्रासंगिक भागों से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं:

"12. (i) रजिस्टर के निरीक्षण के लिए 50.00 रुपये प्रति घंटा का शुल्क लगेगा ।

(ii) रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियों के लिए 20.00 रुपये प्रति पृष्ठ का शुल्क लगेगा।"

(क) अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता, निरीक्षण हेतु शुल्क और प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा तथा आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे के संबंध में हितधारकों के विचार।

3.4.6. अनेक हितधारकों ने कहा कि अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने की मौजूदा फ्लॉपी डिस्क और कागज-आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए तथा इसे पूर्णतः डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। हितधारकों ने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान व्यवस्था पुरानी और अकुशल है तथा इसे विकसित होती प्रौद्योगिकीय और विनियामक पद्धतियों के अनुरूप डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों ने अंत: संयोजन करारों के प्रस्तुतीकरण, पावती, ट्रैकिंग, निरीक्षण और उन तक पहुंच सहित संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल अपनाए जाने का व्यापक रूप से समर्थन किया।

3.4.7. कुछ हितधारकों ने हस्ताक्षरित (वेट-साइन्ड) भौतिक दस्तावेजों के स्थान पर दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्रस्तुत करने के महत्व को भी रेखांकित किया, क्योंकि भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने से विलंब और अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं।

3.4.8. कुछ हितधारकों ने खोज न की जा सकने वाली स्कैन की गई प्रतियों के स्थान पर खोज योग्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, क्योंकि खोज योग्य स्कैन किए गए दस्तावेज उनमें निहित सूचना की समीक्षा और पुनर्प्राप्ति को अधिक सुगम और कुशल बनाते हैं।

3.4.9. प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा के संबंध में, कुछ हितधारकों ने प्रस्ताव किया कि अंत: संयोजन करारों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उनके निष्पादन की तारीख से 15 अथवा 7 दिनों के भीतर भादूविप्रा के पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

3.4.10. रजिस्टर के निरीक्षण और उसके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क के संबंध में, अनेक हितधारकों ने कहा कि इससे संबंधित कोई भी शुल्क नाममात्र, युक्तियुक्त और स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

3.4.11. कुछ हितधारकों ने गैर-गोपनीय अभिलेखों तक जनसाधारण की पहुंच को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुगम बनाने तथा डिजिटल परिवेश में निरीक्षण और प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की।

3.4.12. अनुपालन न किए जाने को रोकने के लिए अंत: संयोजन विनियमों में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन के उपबंधों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में, कुछ हितधारकों ने कहा कि वित्तीय निरुत्साहन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक परिपक्व दूरसंचार बाजार और मौजूदा विनियामक उपबंध अतिरिक्त शास्तियों के बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। अन्य हितधारकों ने आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे को सम्मिलित किए जाने का समर्थन किया। एक हितधारक ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दोनों द्वारा अनुपालन न किए जाने को रोकने के लिए विनियमों में वित्तीय निरुत्साहन के उपयुक्त उपबंध सम्मिलित किए जाने चाहिए। अन्य हितधारकों ने अंतर-प्रचालक अधिकारों और दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन को एक निवारक उपाय के रूप में अपनाने की सिफारिश की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय निरुत्साहन केवल अत्यंत गंभीर मामलों में, सेवा प्रदाताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने और अनुपालन न किए जाने के निर्णायक प्रमाण के पश्चात् ही लागू किया जाना चाहिए।

(ख) अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, निरीक्षण और उनके प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने की आवश्यकता, निरीक्षण हेतु शुल्क तथा प्रतियां प्राप्त करने के लिए प्रभार की समीक्षा, आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और प्राधिकरण के विचार।

3.4.13. अंत: संयोजन करारों को कागजी रूप में तथा उनकी सॉफ्ट कॉपी 3.5" फ्लॉपी/डिस्केट में प्रस्तुत करने संबंधी मौजूदा उपबंध अप्रचलित, प्रौद्योगिकीय दृष्टि से पुराने तथा वर्तमान प्रचलित कार्य-पद्धतियों के अनुरूप नहीं रह गए हैं। भौतिक दस्तावेजों और अप्रचलित भंडारण माध्यमों पर निरंतर निर्भरता से प्रक्रियागत अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। इन अक्षमताओं को ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण अपनाकर तथा अंत: संयोजन करारों के भौतिक प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करके दूर किया जा सकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इन विनियमों के अधीन अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों का प्रस्तुतीकरण अब से केवल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा। इस व्यवस्था से अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण, प्रबंधन, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने तथा भौतिक दस्तावेजों और अप्रचलित प्रौद्योगिकीय प्रारूपों पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है।

3.4.14. जनसाधारण के लिए निरंतर सुगम्यता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, रजिस्टर के निरीक्षण और उसके प्रासंगिक भागों से उद्धरण प्राप्त करने की सुविधा भौतिक तथा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मौजूदा भौतिक माध्यम के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने से अधिक लचीलापन प्राप्त होगा, सूचना की कुशल पुनर्प्राप्ति और प्रसार सुगम होगा तथा उपयोक्ताओं के लिए पहुंच की सुगमता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर के

निरीक्षण और उससे उद्धरण प्राप्त करने संबंधी उपबंध भौतिक माध्यम तथा पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दोनों के लिए समान रहेंगे।

3.4.15. यह पाया गया है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) जैसे मानक प्रारूपों में पाठ-खोज योग्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से प्रसंस्करण में सुगमता और अभिलेख प्रबंधन में दक्षता बढ़ेगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सभी सेवा प्रदाता अपने अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों की पाठ-खोज योग्य पीडीएफ प्रति इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भादूविप्रा के पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।

3.4.16. अंत: संयोजन करारों के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा को कम करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है। इस संबंध में, कुछ हितधारकों ने अंत: संयोजन करार के निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा का सुझाव दिया है, जबकि कुछ अन्य हितधारकों ने सात दिन की समय-सीमा का सुझाव दिया है। यह नोट किया गया है कि मौजूदा तीस दिन की समय-सीमा उस समय निर्धारित की गई थी, जब अंत: संयोजन करारों को फ्लॉपी या डिस्केट में सॉफ्ट कॉपी के साथ भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अब यह निर्णय लिया गया है कि अंत: संयोजन करार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। तदनुसार, प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक समय में पर्याप्त कमी आएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन परिवेश में अंत: संयोजन करार के निष्पादन या संशोधन की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा उपयुक्त होगी। साथ ही, यदि सेवा प्रदाता ऐसा करने की स्थिति में हैं, तो वे निर्धारित समय-सीमा से पहले भी अंत: संयोजन करार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

3.4.17. यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण विनियम 7 के अधीन अंत: संयोजन करारों से संबंधित पृथक-पृथक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट कर सकता है, तथापि मौजूदा उपबंधों में ऐसी सूचना को किसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का स्पष्ट उपबंध नहीं है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सूचना विनिर्दिष्ट प्रारूप में और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा संबंधी उपबंध अंतःस्थापित किया गया है, ताकि रजिस्टर का प्रभावी रखरखाव और समय पर अद्यतनीकरण सुगम बनाया जा सके।

3.4.18. रजिस्टर के निरीक्षण हेतु शुल्क तथा रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के प्रभार के संबंध में यह नोट किया गया है कि रजिस्टर के प्रासंगिक भागों के निरीक्षण और उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क इन विनियमों के वर्ष 1999 में अधिसूचित किए जाने के समय से अपरिवर्तित रहे हैं।

3.4.19. लागू प्रभारों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, रजिस्टर के प्रासंगिक भागों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए लागू शुल्क को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना की प्राप्ति) विनियम, 2005 के अधीन विहित शुल्क के अनुरूप युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अंत: संयोजन करार

रजिस्टर विनियम, 1999 के अधीन रजिस्टर से उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

3.4.20. यह स्वीकार किया गया है कि अभिलेखों के निरीक्षण और उद्धरण उपलब्ध कराने में, चाहे वे भौतिक रूप में हों अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसी व्यवस्थाओं के रखरखाव और उन्हें सुगम बनाने में प्रशासनिक और परिचालन लागत आती है। तदनुसार, एक युक्तियुक्त और मानकीकृत शुल्क ढांचा आवश्यक है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्टर के प्रासंगिक भागों के निरीक्षण तथा उनसे उद्धरणों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क क्रमशः प्रति घंटा या उसके किसी भाग के लिए एक हजार पांच सौ रुपये तथा प्रति पृष्ठ पांच सौ रुपये होगा। जहां निरीक्षण की अवधि एक घंटे से अधिक हो, वहां प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके किसी भाग के लिए उसी दर से शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यह शुल्क संरचना मोटे तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना तक पहुंच) विनियम, 2005 के अधीन विहित शुल्क संरचना के अनुरूप है।

3.4.21. यह नोट किया गया है कि इन विनियमों में वर्तमान में परिभाषित "उपभोक्ता" शब्द वर्तमान दूरसंचार ढांचे में प्रयुक्त शब्दावली के अनुरूप नहीं है। तदनुसार, "उपभोक्ता" की परिभाषा को "उपयोक्ता" की परिभाषा से प्रतिस्थापित किया गया है और इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दावली को वर्तमान दूरसंचार ढांचे के अनुरूप बनाने तथा समग्र विनियामक ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए परिणामी परिवर्तन किए गए हैं।

3.4.22. यह भी निर्णय लिया गया है कि पंजीकृत करार किन प्राधिकारों से संबंधित हैं, उनकी पहचान को सुगम बनाने के लिए अंत: संयोजन करारों में विनिर्दिष्ट दूरसंचार सेवा प्राधिकारों का विवरण रजिस्टर के भाग I में सम्मिलित किया जाए।

3.4.23. प्राधिकरण ने समय-समय पर यथा संशोधित अंत: संयोजन करार रजिस्टर विनियम, 1999 में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढांचे के संबंध में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण किया है। वित्तीय निरुत्साहन सेवा प्रदाताओं द्वारा विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंत: संयोजन ढांचे के अधीन सेवा प्रदाताओं के अधिकारों की संरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.4.24. यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सेवा प्रदाता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्रत्येक मामले के आधार पर वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि आनुपातिकता और निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन ढांचा लागू किया जाए। वित्तीय निरुत्साहन की राशि युक्तियुक्त और संतुलित होनी चाहिए, ताकि वह अनुपालन न किए जाने के विरुद्ध प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करे और न तो नगण्य हो और न ही अनावश्यक रूप से बोझिल।

3.4.25. प्राधिकरण ने इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने की प्रकृति और उसके संभावित प्रभाव पर विचार किया है। विनियम 5 और विनियम 6 के अंतर्गत आने वाले उपबंध अंत: संयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों को पंजीकरण और रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तुत करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबद्ध हैं। रजिस्टर को पूर्ण, सटीक और अद्यतन बनाए रखने के लिए ये अपेक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। इन विनियमों का कोई भी अनुपालन न होना, अर्थात् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अंत: संयोजन करार और उनमें किए गए संशोधनों को प्रस्तुत करने में विफलता, अंत: संयोजन ढांचे के समुचित कार्यकरण को प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि विनियम 5 या विनियम 6 के अनुपालन न किए जाने के लिए अधिक वित्तीय निरुत्साहन उपयुक्त है।

3.4.26. दूसरी ओर, विनियम 7 अंत: संयोजन करारों से संबंधित विहित प्रारूपों में पृथक-पृथक सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित है। यह सूचना रजिस्टर के प्रभावी रखरखाव और इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, इन अपेक्षाओं का अनुपालन न होना, अर्थात् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफलता, सामान्यतः अंत: संयोजन ढांचे पर तुलनात्मक रूप से सीमित प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि विनियम 7 के अनुपालन न किए जाने के लिए कम वित्तीय निरुत्साहन उपयुक्त है।

3.4.27. इस बात पर भी विचार किया गया है कि उल्लंघन की अवधि पर ध्यान दिए बिना एक निश्चित वित्तीय निरुत्साहन, अल्प अवधि के विलंब और निरंतर अनुपालन न किए जाने के बीच पर्याप्त अंतर नहीं कर पाएगा। अतः श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन विहित किया गया है, जिसमें पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए कम दर तथा पंद्रह दिन से अधिक विलंब जारी रहने पर अधिक दर निर्धारित की गई है। लंबे समय तक विलंब के लिए अधिक दर का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है।

3.4.28. स्पष्टता के लिए, अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन का निर्धारण विलंब के दिनों की संख्या के अनुसार संचयी आधार पर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसे उल्लंघन के मामले में, जहां लागू अधिकतम दर पहले पंद्रह दिनों के लिए ₹50,000 प्रति दिन और पंद्रह दिनों से अधिक प्रत्येक दिन के लिए ₹1,00,000 प्रति दिन है, यदि विलंब बीस दिनों का है, तो पहले पंद्रह दिनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन ₹7.5 लाख और अगले पांच दिनों के लिए ₹5 लाख होगा। इस प्रकार, लागू अधिकतम सीमा के अधीन, कुल अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन ₹12.5 लाख होगा।

3.4.29. साथ ही, वित्तीय निरुत्साहन पर एक युक्तियुक्त अधिकतम सीमा होनी चाहिए, ताकि वित्तीय दायित्व अनिश्चित काल तक बढ़ता न रहे। तदनुसार, विनियम 7 के अधीन मांगी गई सूचना को प्राधिकरण द्वारा

विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने में विफलता के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये तथा विनियम 5 या विनियम 6 के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये की समग्र अधिकतम सीमा विहित की गई है। उपर्युक्त को प्रभावी करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित अनुसूची सम्मिलित की गई है:—

अनुसूची-I

क्र. सं.	**विनियम के अधीन उल्लंघन**	**उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि**
1	विनियम 7 का उल्लंघन	(iii) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन पचास हजार रुपये तक; और (iv) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2	विनियम 5 या विनियम 6 का उल्लंघन	(iii) पंद्रह दिनों तक के विलंब के लिए प्रति दिन एक लाख रुपये तक; और (iv) पंद्रह दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन दो लाख रुपये तक: परंतु यह कि, उपर्युक्त मद (i) और मद (ii) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि उल्लंघन के प्रत्येक दृष्टांत के लिए प्रति सेवा क्षेत्र एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

3.4.30. इसके अतिरिक्त, वित्तीय निरुत्साहन की राशि का निर्धारण केवल विलंब के दिनों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन की प्रकृति, सीमा, अवधि, आवृत्ति और प्रभाव प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकते हैं और वित्तीय निरुत्साहन की राशि निर्धारित करते समय इन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.4.31. वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किए जाने से पूर्व सेवा प्रदाता को उल्लंघन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन निर्धारित करने से पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर सकेगा।

3.4.32. सेवा प्रदाता पर अधिरोपित वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान आदेश जारी किए जाने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अथवा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और विलंब को निरुत्साहित करने के लिए, विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का उपबंध किया गया है। यह विचार किया गया है कि ब्याज की दर को भारतीय स्टेट बैंक की एक

वर्षीय निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) से, अतिरिक्त दो प्रतिशत सहित, संबद्ध करना लागू ब्याज दर निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करेगा। तदनुसार, सेवा प्रदाता बकाया राशि पर उक्त दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लागू होगी जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन पड़ता है। यह भी उपबंध किया गया है कि ब्याज की गणना के लिए मास के किसी भाग को पूर्ण कैलेंडर मास माना जाएगा और एक मास को अंग्रेजी कैलेंडर मास माना जाएगा।

3.4.33. प्राधिकरण का यह मत है कि विनियामक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता हो सकती है और इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या अनुप्रयोग से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। तदनुसार, इन विनियमों की समीक्षा तथा कठिनाइयों के निवारण के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी करने को समर्थ बनाने वाले उपबंध शामिल किए गए हैं।

***

अस्वीकरण: यह अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया अंत: संयोजन (इन्टर्कनेक्ट) करार रजिस्टर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

The Register of Interconnect Agreements (Fourth Amendment) Regulations, 2026

(10 of 2026)

No. RG-1/(1)/2026-NSL-I.---In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (vii) and (viii) of sub-section (1)(b) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999 (2 of 1999), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Register of Interconnect Agreements (Fourth Amendment) Regulations, 2026.

(2) These regulations shall come into force from 1st January, 2027.

2. In regulation 2 of the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999 (2 of 1999) (hereinafter referred to as the principal regulations), --

(a) clause (vii) shall be deleted;

(b) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(viii-a) "user" means a person using a telecommunication service, but does not include a person providing such telecommunication service or telecommunication network;"

3. In regulation 3 of the principal regulations, in sub-regulation (i) after the words, "interconnecting service providers," and before the words "service areas of their operation", the words "telecommunication service authorisation specified under the interconnect agreements," shall be inserted.

4. For regulation 5 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**5. Registration of Interconnect Agreements.—** All service providers shall, through the portal established by the Authority for this purpose, register with the Authority any Interconnect Agreement to which they are parties and any modifications thereto, as detailed hereunder:-

(a) any such agreement which is in force as on 1st January, 2027 shall be submitted within a period of fifteen days from such date; and

(b) in all other cases, within fifteen days of the execution or modification of such agreements."

5. For regulation 6 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**6. Reporting.—** All service providers shall furnish to the Authority a text-searchable electronic copy of each Interconnect Agreement and each modification thereto, in portable document format (PDF) and also in such other form as may be specified by the Authority, from time to time, within the period specified in regulation 5."

6. For regulation 7 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"7. The Authority may from time to time specify the formats for seeking disaggregated information of such parts of the Interconnect Agreements having bearing on technical standards/specifications relating to interconnection, quality of service, fault resolving procedures, downtimes, access charges, port charges, revenue sharing arrangements, area of operation and user-related information such as range of services and the like also to be included in the Register and every service provider shall furnish such information in the format and within the period specified by the Authority."

7. In regulation 8 of the principal regulations, for the words "The Register shall" appearing at the beginning, the words "Part III of the Register shall" shall be substituted.

8. In regulation 9 of the principal regulations, for the words, "Under Secretary (Commercial), TRAI or any other Officer, who may be", the words "Officer" shall be substituted.

9. In regulation 11 of the principal regulations, --

(a) after the words, "may also allow", the words, "application for inspection of the Register," shall be inserted;

(b) after the words, "access to", the words, "Part III of" shall be inserted;

(c) after the words, "the Register", the words, ", and obtaining copies or extracts thereof" shall be inserted; and

(d) for the words, "the web-site", the words, "the portal" shall be substituted.

10. In regulation 12 of the principal regulations, --

(a) in sub-regulation (i), for the words "Rs. 50 per hour", the words "one thousand five hundred rupees per hour or part thereof" shall be substituted; and

(b) in sub-regulation (ii), for the words "Rs. 20", the words "five hundred rupees" shall be substituted.

11. After regulation 12 of the principal regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-

"**12A. Consequences for contravention of the provisions of these regulations.—**

(1) If any service provider contravenes the provisions of regulation 5, regulation 6 or regulation 7, it shall, without prejudice to any penalty which may be imposed under the terms and conditions of its license or authorisation or any other action that may be taken under any Act, or the rules or regulations, or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay an amount, by way of financial disincentive, as provided in Schedule-I to these regulations.

(2) No order for payment of financial disincentive shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention observed by the Authority.

(3) The Authority may decide not to impose any financial disincentive, or impose a lower amount of financial disincentive, for reasons to be recorded in writing.

12B. Payment of financial disincentives.— (1) The amount payable by way of financial disincentive under these regulations shall be remitted to such head of account as may be specified by the Authority.

(2) If the service provider fails to make payment of financial disincentive under regulation 12A, within a period of twenty-one days from the date of issue of the order for payment of financial disincentive or as stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay simple interest at a rate which shall be two percent (2%) above the one year Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR) of the State Bank of India prevailing as on the beginning of the Financial Year in which last day of the stipulated period falls.

Explanation: For the purposes of this sub-regulation, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month.

12C. Review.— The provisions of these regulations may be reviewed by the Authority as and when required."

12. For regulation 13 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"13. Removal of Difficulties.— In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue necessary clarifications or guidelines, which shall be final and binding."

13. After regulation 13 of the principal regulations, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"**Schedule-I**

[See regulation 12A]

Sl. No.	**Contravention under regulation**	**Amount of financial disincentive for each instance of contravention**
1	Contravention of regulation 7	(i) Up to fifty thousand rupees per day for delay up to fifteen days; and (ii) Up to one lakh rupees per day for each day of delay beyond fifteen days: Provided that the total amount of financial disincentive under item (i) and item (ii) above shall not exceed rupees twenty-five lakh per Service Area for each instance of contravention.
2	Contravention of regulation 5 or regulation 6	(i) Up to one lakh rupees per day for delay up to fifteen days; and (ii) Up to two lakh rupees per day for each day of delay beyond fifteen days: Provided that the total amount of financial disincentive under item (i) and item (ii) above shall not exceed rupees one crore per Service Area for each instance of contravention.

PUSHPENDRA KUMAR SINGH, Secy. (Incharge)

[ADVT.-III/4/Exty./441/2026-27]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. 409-1/98-TRAI (Comm.) dated 31st August, 1999, and amended vide:

(i) Notification No. 11-11/2004/B&CS dated 3rd February, 2004 (2 of 2004)

(ii) Notification No. 11-11/2004-B&CS dated 31st December, 2004 (14 of 2004)

(iii) Notification No. 306-3/2005-QOS dated 4th March, 2005 (5 of 2005)

Note 2: The explanatory memorandum explains the objects and reasons of "The Register of Interconnect Agreements (Fourth Amendment) Regulations, 2026."

Explanatory Memorandum

to

The Register of Interconnect Agreements (Fourth Amendment) Regulations, 2026

1. **Introduction**

1.1. Interconnection in telecommunications refers to commercial and technical arrangements that allow authorised entities or licensees to connect their telecommunication equipment, networks, and services, enabling their users to access the users, services, and networks of other authorized entities or licensees.

1.2. The Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999, were notified on 31st August 1999, and came into force on 1st September 1999, to establish a regulatory framework for registration of interconnect agreements entered into between service providers. These regulations prescribe the modalities for the maintenance of the register of interconnect agreements between service providers and matters connected therewith. These regulations cover important aspects relating to the submission and registration of interconnect agreements, maintenance of the register by the Authority, contents of the interconnect agreement to be kept confidential, inspection of interconnect agreements, and related processes. These regulations were subsequently amended on 3rd February 2004, 31st December 2004, and 4th March 2005.

1.3. This Explanatory Memorandum sets out the background, rationale, and considerations underlying the Register of Interconnect Agreements (Fourth Amendment) Regulations, 2026, to enable stakeholders to understand the Authority's approach in formulating these regulations.

2. **Present exercise to review the regulatory framework for the register of interconnect agreements in India**

2.1. The Authority issued a pre-consultation paper dated 3rd April 2025 and subsequently issued a consultation paper on the 'Review of existing TRAI Regulations on Interconnection matters' on 10th November 2025 to seek the views of stakeholders on different aspects of these Regulations. The stakeholders were requested to submit their written comments and counter-comments by the extended last dates of 15th December 2025 and 29th December 2025, respectively. An open house discussion was held with the stakeholders on 28th January 2026. The issues raised in the consultation paper, submissions of stakeholders through comments and counter-comments and during the open house discussion, have been examined in the succeeding paragraphs.

3. **Analysis of the issues related to the regulatory framework for the register of interconnect agreements**

3.1. In the consultation paper dated 10th November 2025, the Authority sought views from the stakeholders on the various issues related to the regulatory framework for the register of interconnect agreements. The relevant issues which have been discussed in this explanatory memorandum are as follows:

a. Examination of the need for online submission, inspection, and obtaining a copy of the relevant portions of the interconnect agreements and modifications thereto.

b. Examination of the fee for seeking inspection and charges for obtaining copies of the relevant portions from the register.

c. Necessary financial disincentive framework.

A large number of views were received from stakeholders in response to the questions in the consultation process. The submissions received from stakeholders have been carefully considered by the Authority and are summarized in the subsequent sections, followed by analysis and decisions thereon.

3.2. During the consultation process, the stakeholders were invited to provide their views on whether the current provisions for submission, inspection and obtaining copies of interconnect agreements under 'The Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999' using floppy disks and print copies should be dispensed with and made online, along with justification.

3.3. Another question sought stakeholders' views on necessary financial disincentives in interconnection regulations to deter non-compliance, along with their quantification.

3.4. **Examination of the need for online submission, inspection, obtaining copies of relevant portions of interconnect agreements and modifications thereto, review of fees for inspection, charges for obtaining copies, and necessary financial disincentive framework.**

3.4.1. The existing relevant sections of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (as amended from time to time), and regulatory framework, in respect of these issues are, *inter alia,* as follows:

3.4.2. Sub-clauses (vii) and (viii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 under the heading 'POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY' of the TRAI Act, contain the following:

> *"(b) discharge the following functions, namely:-*
>
> *...*
>
> *(vii) maintain register of inter-connect agreements and of all such other matters as may be provided in the regulations;*
>
> *(viii) keep register maintained under clause (vii) open for inspection to any member of public on payment of such fee and compliance of such other requirement as may be provided in the regulations;"*

3.4.3. Regarding submission of interconnect agreements and modifications thereto, regulation 6 of the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999, as amended from time to time, provides for the following:

> *"6. All service providers shall furnish to the Authority two copies each of the Interconnect Agreements along with modification(s), if any, thereto in print form, duly authenticated, along with a soft copy of it in a floppy/diskette of 3.5" size in Microsoft Word software and also in such other form as may be prescribed from time to time."*

3.4.4. In respect of obtaining extracts of the relevant portions of the interconnect agreement and modifications thereto, of the part III of the register, regulation 8, regulation 9, and regulation 10 of the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999, as amended from time to time, provide for the following:

> *"8. The Register shall be open for inspection by any member of the public on payment of prescribed fee and on his fulfilling such other conditions as may be provided for in these Regulations or may be notified by the TRAI from time to time.*
>
> *9. Any person seeking inspection of the Register shall apply to the Under Secretary (Commercial), TRAI or any other Officer, who may be designated for the purpose by the Authority, detailing therein the information he/she seeks.*

10. The designated officer shall allow inspection of the Register and also make available extracts of the relevant portions of the Register on payment of such fee as may be prescribed from time to time."

3.4.5. Regulation 12 of the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999, as amended from time to time, contains the following regarding the fees for seeking inspection and charges for obtaining copies of extracts from the relevant portions of the register:

"12. (i) There shall be levied a fee of Rs. 50 per hour for inspection of the Register.

(ii) A fee of Rs. 20 per page shall be charged for copies of extracts from the Register."

a) Views of stakeholders on the need for online submission, inspection, obtaining copies of relevant portions of interconnect agreements and modifications thereto, review of fees for inspection, charges for obtaining copies, and necessary financial disincentive framework.

3.4.6. Many stakeholders submitted that the existing system of floppy disk and paper-based processes of submission of interconnect agreements and modifications thereto should be dispensed with, and needs to be transitioned to a fully digital, online framework. Stakeholders have emphasized that the current system is outdated and inefficient, and that it requires replacement with digital processes aligned with evolving technological and regulatory practices. Further, stakeholders have broadly supported the adoption of a centralized online portal to facilitate end-to-end digital processes, including submission, acknowledgment, tracking, inspection, and access to interconnect agreements.

3.4.7. A few stakeholders have further highlighted the importance of adopting submission of an electronic copy of documents in place of wet-signed physical documents as submission of physical documents leads to delays and inefficiencies.

3.4.8. Some stakeholders have also emphasized the need for submission of searchable documents in place of non-searchable scanned copies, as searchable scanned documents facilitate efficiency in reviewing and retrieving information therein.

3.4.9. Regarding the timeline for submission, a few stakeholders proposed that electronic copies of interconnect agreements should be submitted through the TRAI portal within 15 or 7 days of execution.

3.4.10. Regarding the fees for seeking inspection and for obtaining copies of the relevant portions of the Register, many stakeholders submitted that any associated fees should be nominal, reasonable, and clearly specified.

3.4.11. A few stakeholders recommended facilitating public access to non-confidential records through electronic means only and dispensing with inspection and copying fees in the digital environment.

3.4.12. Regarding the incorporation of provisions for necessary financial disincentives into interconnection regulations to deter non-compliance, some stakeholders stated that financial disincentives are not required, arguing that a mature telecom market and existing regulatory provisions are sufficient to ensure compliance without additional penalties. Other stakeholders argued in favour of incorporation of a necessary financial disincentive framework. One stakeholder stated that appropriate provisions for financial disincentives should be incorporated into the regulation to deter non-compliance by private and PSU operators alike. Other stakeholders recommended financial disincentives as a deterrent to ensure compliance with inter-operator rights and obligations. They emphasized that financial disincentives should be applied only in extreme cases, after giving service providers an opportunity for a hearing and conclusive proof of non-compliance.

b) Analysis of the issues and views of the Authority on the need for online submission, inspection, obtaining copies of relevant portions of interconnect agreements and modifications thereto, review of fees for inspection, charges for obtaining copies, and necessary financial disincentive framework.

3.4.13. The existing provisions requiring submission of paper-based agreements together with soft copies on 3.5" floppy/diskette are obsolete, technologically outdated, and no longer aligned with prevailing practices. The continued reliance on physical documentation and outdated storage media results in procedural inefficiencies. These inefficiencies can be avoided by online submissions and dispensing with the process of physical submissions **of** interconnect agreements. Accordingly, it is **decided** that submission of interconnect agreements and modifications thereto, under these regulations, shall henceforth be made only in electronic form through a portal. This framework is expected to facilitate streamlined submission, handling, maintenance, and retrieval of records, while reducing dependence on physical documentation and outdated technological formats.

3.4.14. In order to ensure continued accessibility and convenience for the public, inspection of the register and obtaining extracts from the relevant portions thereof should be permitted in both physical and electronic modes through a portal. Enabling access through electronic mode, in addition to the existing physical mode, would provide greater flexibility, facilitate efficient retrieval and dissemination of information, and promote ease of access for users. Further, provisions governing the inspection of the register and obtaining extracts therefrom shall remain similar for both physical mode and electronic mode through a portal.

3.4.15. It is observed that text-searchable electronic documents in standard formats, such as portable document format (PDF), would enhance ease of processing and efficiency in record management. Accordingly, it is **decided** that all service providers shall submit a text-searchable PDF copy of their interconnect agreements and modifications thereto on the TRAI portal **within the period specified in these regulations.**

3.4.16. The proposal to shorten the timeline for submitting interconnect agreements has been examined. In this regard, some of the stakeholders have suggested a timeline of fifteen days from the date of execution of the interconnect agreement, whereas some other stakeholders have suggested a timeline of seven days. It is noted that the existing timeline of thirty days was prescribed at a time when the interconnect agreements were required to be submitted in physical form, along with a soft copy in a floppy or diskette. It has now been decided that the interconnect agreements shall be submitted in an online manner through a portal. Accordingly, the time needed for submission would be substantially reduced. Considering this, a timeline of fifteen days from the date of execution or modification of the interconnect agreement would be appropriate in an online environment. At the same time, the service providers will be free to submit the interconnect agreements earlier than the prescribed timeline, if they are in a position to do so.

3.4.17. It is noted that while the Authority may specify formats for seeking disaggregated information relating to interconnect agreements under regulation 7, the existing provisions do not explicitly provide for the furnishing of such information within a specified timeframe. Accordingly, a provision has been inserted requiring service providers to furnish such information in the specified format and within the period specified by the Authority, so as to facilitate effective maintenance and timely updation of the Register.

3.4.18. With reference to the fee for inspection of the register and charges for obtaining copies of extracts from the register, it is noted that the prescribed fees for inspection and charges for obtaining copies of the relevant portions of the Register have remained unchanged since these regulations were notified in 1999.

3.4.19. It has been decided to rationalize and align the applicable fee for obtaining copies of the relevant portions of the Register with the fee prescribed under the Telecom Regulatory Authority of India (Access to Information) Regulation, 2005, in order to ensure uniformity of the applicable charges between the said Regulation and the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999. Accordingly, it is decided to revise the fee for obtaining copies of extracts from the Register and inspection of documents under the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999.

3.4.20. It is recognized that the inspection of records and provision of extracts, whether in physical or electronic form, involves administrative and operational costs in maintaining and facilitating such arrangements. Accordingly, a reasonable and standardized fee framework remains necessary. It is therefore decided that the fee structure for inspection of, and obtaining copies of extracts from, the relevant portions of the Register shall be rupees one thousand five hundred per hour or part thereof, and rupees five hundred per page, respectively. Where the duration of inspection exceeds one hour, the fee shall be charged at the same rate for every additional hour or part thereof. This fee structure is broadly aligned with the fee structure prescribed under the Telecom Regulatory Authority of India (Access to Information) Regulation, 2005.

3.4.21. It is noted that the term "consumer", as presently defined in these regulations, is not aligned with the terminology used in the current telecommunications framework. Accordingly, the definition of "consumer" has been replaced with the definition of "user" and consequential changes have been made to align the terminology used in these regulations with the current telecommunications framework and to ensure consistency across the regulatory framework.

3.4.22. It has also been decided to include particulars of the telecommunication service authorisations specified in the interconnect agreements in Part I of the Register, to facilitate identification of the authorisations to which the registered agreements relate.

3.4.23. The Authority has examined the comments received from stakeholders regarding the necessary financial disincentive framework in the Register of Interconnect Agreements Regulations, 1999, as amended from time to time. The financial disincentives play an important role in ensuring regulatory compliance by service providers, as well as in safeguarding the rights of service providers under the interconnection framework.

3.4.24. It is decided that financial disincentives be imposed on a case-by-case basis, after providing the concerned service provider a reasonable opportunity to present its explanation. It is also decided that the financial disincentive framework be introduced to ensure proportionality and deterrence. The quantum of financial disincentive should be reasonable and balanced so as to serve as an effective deterrent against non-compliance, without being either negligible or unduly burdensome.

3.4.25. The Authority has considered the nature and potential impact of non-compliance with the provisions of these regulations. The provisions covered under regulation 5 and regulation 6 relate to various aspects of submission of interconnect agreements and modifications to them for registration and inclusion in the Register. These requirements are important for keeping the Register complete, accurate and up to date. Any non-compliance with these regulations, i.e., failure to submit the interconnect agreement and modifications, within the period specified by the Authority, may directly and significantly affect the proper functioning of the interconnection framework. The Authority is, therefore, of the view that a higher financial disincentive is appropriate for non-compliance of regulation 5 or regulation 6.

3.4.26. On the other hand, regulation 7 relates to furnishing of disaggregated information in the prescribed formats pertaining to interconnect agreements. This information is important for maintaining the

Register effectively and for implementing these regulations. However, non-compliance with these requirements, i.e., failure to furnish the information within the period specified by the Authority, generally has a comparatively limited direct impact on the interconnection framework. The Authority is, therefore, of the view that a lower financial disincentive is appropriate for non-compliance with regulation 7.

3.4.27. It has also been considered that a fixed financial disincentive, irrespective of the duration of the contravention, may not adequately distinguish between a short delay and continued non-compliance. Therefore, a graded financial disincentive has been prescribed, with a lower rate for delay up to fifteen days and a higher rate where the delay continues beyond fifteen days. The higher rate for prolonged delay is intended to encourage service providers to take timely corrective action and ensure compliance at the earliest.

3.4.28. For clarity, the maximum financial disincentive may be determined on an accumulated basis according to the number of days of delay. For example, in the case of a contravention where the applicable maximum per day rates are ₹50,000 per day for the first fifteen days and ₹1,00,000 per day for each day beyond fifteen days, if the delay is for twenty days, the financial disincentive would be ₹7.5 lakh for the first fifteen days and ₹5 lakh for the next five days, making a total maximum financial disincentive of ₹12.5 lakh, subject to the applicable ceiling.

3.4.29. At the same time, there should be a reasonable ceiling on the financial disincentive so that the financial liability does not continue to increase indefinitely. Accordingly, an overall ceiling of rupees twenty-five lakh per Service Area for each instance of failure to furnish, within the period specified by the Authority, the information sought under regulation 7 and rupees one crore per Service Area for each instance of contravention of regulation 5 or regulation 6 has been prescribed. To give effect to the above, the following Schedule has been incorporated for financial disincentive:

Schedule-I

Sl. No.	**Contravention under regulation**	**Amount of financial disincentive for each instance of contravention**
1	Contravention of regulation 7	(i) Up to fifty thousand rupees per day for delay up to fifteen days; and (ii) Up to one lakh rupees per day for each day of delay beyond fifteen days: Provided that the total amount of financial disincentive under item (i) and item (ii) above shall not exceed rupees twenty-five lakh per Service Area for each instance of contravention.
2	Contravention of regulation 5 or regulation 6	(i) Up to one lakh rupees per day for delay up to fifteen days; and (ii) Up to two lakh rupees per day for each day of delay beyond fifteen days: Provided that the total amount of financial disincentive under item (i) and item (ii) above shall not exceed rupees one crore per Service Area for each instance of contravention.

3.4.30. Also, the quantum of financial disincentive should not be determined solely by reference to the number of days of delay. The nature, extent, duration, frequency and impact of the contravention may vary from case to case and should also be considered while determining the quantum of financial disincentive.

3.4.31. A service provider should be given a reasonable opportunity to represent against the contravention before financial disincentive is imposed. This will ensure fairness and enable the Authority to consider the submissions of the service provider before determining the financial disincentive.

3.4.32. The financial disincentive imposed on a service provider should be paid within twenty-one days from the date of issue of the order or within the period specified in the order. To ensure timely payment and discourage delay, simple interest on the outstanding amount of financial disincentive has been provided in case of delayed payment. It is considered that linking the rate of interest to the one-year Marginal Cost of Funds-based Lending Rate (MCLR) of State Bank of India, with an additional two percent, would provide an objective basis for determining the applicable rate. Accordingly, the service provider shall be liable to pay simple interest on the outstanding amount at the said rate applicable at the beginning of the financial year in which the last day of the stipulated period falls. It has also been provided that a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month.

3.4.33. The Authority is of the view that the regulatory framework may require review from time to time and that issues relating to the interpretation or application of the provisions of these regulations may arise. Accordingly, provisions enabling review of these regulations and issuance of necessary clarifications or guidelines for removal of difficulties have been included.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA